प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 06.09.2023

नाबालिग के साथ छेड़खानी एवं मारपीट करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक शाहपुर के नेतृत्व में, उ0नि0 अक्षय कुमार मिश्रा मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 595/23 धारा 354,354ख,323,504,506,भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त जुगनू निषाद पुत्र पन्नेलाल निषाद निवासी तिनकोनिया नं01 केवटहिया टोला पादरी बाजार थाना शाहपुर गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादिनी मुकदमा अपने नाबालिग पुत्री के साथ घर के बरामदे में सो रही थी तभी वादिनी के गांव के ही अभियुक्त जुगनू पुत्र पन्नेलाल उपरोक्त द्वारा वादिनी की पुत्री के पास बरामदे में जाकर उसका मुंह दबाकर जबरदस्ती छेड़खानी करने लगा तथा जब वादिनी की पुत्री ने शोर मचाया तो वादिनी व उनका लड़का पीड़िता के पास पहुंचे और अभियुक्त जुगनू को पकड़ लिए इतने में शोर सुनकर जुगनू उपरोक्त के परिवारीजन लाठी डण्डा लेकर वादिनी के घर पर आकर भद्दी-भद्दी गाली गुप्ता देने लगे तथा साथ में लाए लाठी डण्डे से वादिनी तथा वादिनी के परिजनों को मार पीट कर चोटिल कर दिये तथा जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी को लेकर मौके से भाग गये। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

जुगनू निषाद पुत्र पन्नेलाल निषाद निवासी तिनकोनिया नं01 केवटहिया टोला पादरी बाजार थाना शाहपुर गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 595/23 धारा 354,354ख,323,504,506,भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना शाहपुर गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 शशि भूषण राय थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अक्षय कुमार मिश्रा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. का0 अनूप कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. का0 अरमान थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर